

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (S.D.O.) बायदु..... मुकाम.....

..... इम्मेदाराम बनाम ..... गेनाराम वीर.....

किस्म मुकदमा 111, 128 RIR नं. 327/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... इम्मेदाराम बायदु..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 23/11/2020..... को पेश हो। दिनांक 21/11/2020 सहायक कलक्टर	
23/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी को नोटिस तामिल हुआ जहाँ तामिल पत्रावली पेश। प्रीमान पीठान्त अधिकारी डिग्री शर्त में व्यक्त होने से मित्राल इलाका कोडर आगामी दिनांक 10/02/2021 को पेश हो। दिनांक 10/02/2021	
10/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी को को नोटिस तामिल हुआ जहाँ तामिल पत्रावली पेश। विप्रार्थी को वाक्य तामिल अनुपस्थित। प्रीमान, पीठान्त अधि- कारी को पत्र तामिल होने से मित्राल इलाका कोडर आगामी दिनांक - 21/06/2021 को पेश हो। दिनांक 21/06/2021	

11

21/06/2021

प्राथमिक वहील उपस्थित। विद्यार्थीगण अनु०।  
नामिल अनुउपस्थित। सीमान पीठासीन अधिकारी  
पर निबन्ध देने से मित्राल इल्लवा दोहर आगामी  
दिनांक - 08/10/2021 को पैका ही।

08/10/2021

प्राथमिक वहील उपस्थित। विद्यार्थीगण अनु०।  
सीमान पीठासीन अधिकारी प्रकाशन गैरवे डेलिंग  
सेवा समिपान- 2021 डेयों से व्याप्य देने से  
मित्राल इल्लवा दोहर आगामी दिनांक- 09/11/2021  
को पैका ही।

09/11/2021


प्राथमिक वहील उपस्थित। विद्यार्थीगण अनु०।  
सीमान पीठासीन अधिकारी प्रकाशन गैरवे डेलिंग  
समिपान- 2021 डेयों से व्याप्य देने से मित्राल  
इल्लवा दोहर आगामी दिनांक - 08/02/2022 को  
पैका ही।

08/02/2022

प्राथमिक वहील उपस्थित। विद्यार्थीगण वाकजुड  
नामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज  
लगाई गई संन्तिस आवाज 5.45 PM पर लगाई गई  
विद्यार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अर्थि-  
पक्षता या अविभावतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।  
विद्यार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकाट अर्थवही अमल में  
लाई जाती है। अतः वार्ता कइस पभावली  
दिनांक - 28/03/2022 को पैका ही।

सहायक वरिष्ठ  
(SDO) वायवु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक कमिश्नर              (SDO) बायतु         </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 /  
प्रार्थी 253

दिनांक:- 28/03/2022  
विप्रार्थीगण

बनाम

1. उम्मेदाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 03,  
जाति जाट, निवासी लेगो की ढाणी,  
पटवार मण्डल चीबी,  
तहसील गिडा जिला बाडमेर

1. गेनाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 20,  
जाति जाट, निवासी लेगो की ढाणी,  
पटवार मण्डल चीबी,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या - 327 / 2020

**आदेश**

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लेगो की ढाणी, पटवार मण्डल - चीबी, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 230, 252, 285, 286, 292 रकबा क्रमशः 14.1900, 19.0900, 0.0600, 34.0200, 0.0400 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक / वाद / 2022 / 254 to 258  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उम्मेदाराम पुत्र विशनाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री गेनाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 20,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:- 28/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु